रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232079 CG-DL-E-23122021-232079

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718] No. 718] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2021/पौष 02, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2021/PAUSA 02, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 877(अ).—चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (23 के 1940) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से पांच दिनों की अविध समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएगी;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, तो अवर सचिव, (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 434, सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को अग्रेषित किया जाए अथवा drugsdiv-mohfw@gov.in पर ई-मेल की जाए।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को चिकित्सा युक्ति (....संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

7469 GI/2021 (1)

- (2) ये नियम, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।
- 2. चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 में, नियम 46 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 "46. चिकित्सा युक्ति की अभिन्न युक्ति पहचान.— केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी, विक्रय या वितरण के लिए विनिर्माण या आयात के लिए, अनुमोदित चिकित्सा युक्ति पर अभिन्न युक्ति पहचान, जैसा निर्धारित किया जाए, होगी।"

[फा.सं. एक्स. 11014/30/2021-डीआर] डॉ. मनदीप के भण्डारी. संयक्त सचिव

टिप्पण: चिकित्सा युक्ति नियम, 2017, राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 78(अ), तारीख 31 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिमतः संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2021

S.O. 877(E).—The following draft of certain rules further to amend Medical Device Rules, 2017, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of five days from the date on which copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs Regulation), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 434, C Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Medical Devices (.....Amendment) Rules, 2021.
 - (2) These rules shall, unless specified otherwise, come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Medical Devices Rules, 2017, for rule 46, the following rule shall be substituted, namely:—
 "46. Unique device identification of the medical device.— With effect from the date as may be specified by Central Government, a medical device, approved for manufacture for sale or distribution or import, shall bear unique device identification in the manner as may be determined."

[F.No. X.11014/30/2021-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The Medical Devices Rules, 2017 was published in the Official Gazette *vide* notification number G.S.R. 78(E), dated the 31st January, 2017 and last amended *vide* notification number G.S.R. ... (E), dated the